Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019......1007.......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, जहानाबाद, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ, बाँका, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पटना

पटना, दिनांक : 06-03-2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– निदेशालय पत्र संख्या 394 दिनांक 28.02.2020 एवं CFMS Allotment Order No. ..11156....... Date ....07/03/2020...

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय पत्र संख्या 394 दिनाक 28.02.2020 में अंकित विषय बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए संविदा पर नियोजित होने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण पर होने वाले संभावित व्यय तथा इस आलोक में पूर्व से तैयारी कर रखने के संबंध से संबंधित निर्गत पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में आपके कार्यालय हेतु 1,69,89,330 / – (एक करोड़ उनहत्तर लाख नवासी हजार तीन सौ तीस) रूपये मात्र का आवंटन होने वाले व्यय हेतु की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :– 'ग' एवं CFMS Allotment Order No. .... Date ....

विश्वासभाजन

06/3/20

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89/2019..1007.. **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89/2019..1007.. **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89/2019..1007.. **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89/2019..1007.. **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

6/3/20

अनुलग्नक 'ग'

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन :–

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रशिक्षु अमीनों की संख्या	13 01 कार्यालय व्यय	20 03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	200	500000	250000	750000
2	अरवल	120	500000	250000	750000
3	कटिहार	340	500000	250000	750000
4	किशनगंज	160	500000	250000	750000
5	खगड़िया	180	500000	250000	750000
6	जमुई	400	500000	250000	750000
7	जहानाबाद	160	500000	250000	750000
8	नालन्दा	440	500000	250000	750000
9	पश्चिम चम्पारण	400	500000	250000	750000
10	पूर्णियाँ	460	500000	250000	750000
11	बाँका	400	500000	250000	750000
12	बेगूसराय	460	500000	250000	750000
13	मधेपुरा	280	500000	250000	750000
14	मुंगेर	220	500000	250000	750000
15	लखीसराय	180	500000	250000	750000
16	शिवहर	120	500000	250000	750000
17	शेखपुरा	140	500000	250000	750000
18	सहरसा	220	500000	250000	750000
19	सीतामढ़ी	380	500000	250000	750000
20	सुपौल	240	500000	250000	750000
21	पटना (अंचल फुलवारी शरीफ)		1535730	453600	1989330
कुल योग :–		**5500**	**11535730**	**5453600**	**16989330**

(जय सिंह) 9/3/20

निदेशक,

भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार, पटना